नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक 185831

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 8176

दिनांक 17/1/18

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 2912 पत्रावली संख्या एजी–1962 दिनांक 1986-1987

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि डॉ0बी0आर अम्बेडकर बहुउद्देशीय शिक्षण एंव सेवा संस्थान, प्रेमबाग श्यामलाल की बगिया,ग्वालियर रोड आगरा। को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 1292 / 1986–87 दिनांक 18-02-1987 को दिनांक 18-02-2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1250 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 16-01-2018

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0 / टी0 / आफसेट)।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 333168

डॉ० बी० आर० अम्बेडकर बहुउद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान प्रेम बाग रूपलाल की बगिया ग्वालियर रोड आगरा / आगरा [illegible]-1962 नियमावली

सत्यमेव जयते

उप निबन्धक

11-5-15

स्मृति पत्र

1- संस्था का नाम	::	डा0बी0आर0 अम्बेडकर बहुउद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान ।
2- संस्था का पता	::	प्रेम बाग, श्यामलाल की बगिया, ग्वालियर रोड़ आगरा
3- संस्था का कार्यक्षेत्र	::	सम्पूर्ण भारत ।
4- संस्था का उद्देश्य	::	1- सिद्धार्थ सोशल टेक्नोलोजी संस्थान एवं विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज खोलना ।

2- विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षण सुविधाओं के साथ ही प्रोवेशनल ट्रनिंग सेन्टर की स्थापना का संचालन करना तथा स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को अवसर प्रदान कराना। सहयोग देना

3- महात्मा बौद्ध के सिद्धान्तों के आधार पर बुद्धधर्मावलम्बी की शैक्षिक व प्रशिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान व गन्वेषणात्मक कार्य करना ।

4- छात्र एवं छात्राओं के आवासीय प्रबन्ध हेतु छात्रावास का प्रबन्ध करना ।

5- उच्च स्तरीय पुस्तकालय एवम् वाचनालय की स्थापना जिसमें विभिन्न विषयों से सम्बन्धित पुस्तकों के अतिरिक्त डा0 अम्बेडकर द्वारा रचित ग्रन्थों के अध्ययन की सुविधा प्रदान करना ।

6- मेधावली एवं निधन छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

7- डा0 अम्बेडकर के उपदेश माला के अनिवार्य रूप से स्नातक स्तर तक पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाना तथा उसमें निर्धारित न्यूनतमे अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

8- भारत सरकार, किसी भी राज्य सरकार अथवा विदेशी सरकारी एवं एजेन्सियों तथा संस्थाओं से भारत सरकार की अनुमति से ऋण या अनुदान अथवा सम्पत्ति प्राप्त करना ।

9- अनुसूचित जाति, जनजाति विमुक्त जाति एवं पिछड़ीजाति के उत्थान के लिए गवेषणात्मक कार्य करना ।

10- विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले महानुभावों को डा0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापना के सम्बन्ध में परामर्श लेना ।

11- भारतवर्ष के जन साधारण में ऐसे ज्ञान एवं विचार का प्रसार करना जिससे वे लोग विघटनकारी शक्तियों का सामना कर सकें तथा राष्ट्रीय एकता की कड़ी को मजबूत बना सकें ।

12- डा0 अम्बेडकर विचार को प्रचार हेतु दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन तथा प्रसार करना ।

अशोक कुमार वर्मन

अध्यक्ष
डा० बी० आर० अम्बेडकर
बहुउद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान
प्रेमबाग ग्वालियर रोड़, आगरा

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश, आगरा

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

.... पृ0/2

13- औद्योगिक क्षेत्र में नये नये विकास की तकनीकी व योजनाओं पर आधारित प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण से बनी वस्तुओं को संस्था के लिए निस्तारण करना।

14- विश्वविद्यालय अथवा उससे सम्बद्ध कालेज हेतु अचल सम्पत्ति जैसे मकान अथवा जमीन का क्रय करना अथवा स्वयम् सेवीय संस्थाओं व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से लोगों द्वारा दान के रूप में प्राप्त करना।

15- ऐसे अन्य कार्य सम्पन्न करना जो संस्थान के हित व प्रगति के लिए आवश्यक हों।

5- प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता, व्यवसाय पद जिनकों संस्था नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया :-

क्रम सं0	नाम	पद	पता	व्यवसाय
1-	श्री गुलाब सेहरा	अध्यक्ष	पंजा मदरसा, आगरा	व्यापार
2-	श्री वीरेन्द्र सोन	उपाध्यक्ष	नगला छऊआ, आगरा	व्यापार
3-	श्री चन्द्र भान वर्मा	सचिव	बुन्दू कटरा आगरा	व्यापार
4-	श्री राम प्रसाद कमलेश	संयुक्त सचिव	न्यू गोपालपुरा आगरा	नौकरी
5-	श्री रसीद अहमद कुरेशी	सह सचिव	नाई की मण्डी आगरा	व्यापार
6-	श्री सत्य प्रकाश आनन्द	कोषाध्यक्ष	सेवला ग्वालियर रोड आगरा	नौकरी
7-	श्री डी0सी0 सौनी	आडीटर	शिवदिसानी नगर शाहगंज आगरा	नौकरी
8-				
9-				
10-				
11-				

6- हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपर्युक्त स्मृतिपत्र के अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड करना चाहते हैं :-

3/2/87

क्र0सं0	नाम	हस्ताक्षर
1-	गुलाब सेहरा	
2-	वीरेन्द्र सोन	वीरेन्द्र सोन
3-	चन्द्रभान वर्मा	
4-	रामप्रसाद कमलेश	रामप्रसाद कमलेश
5-	रसीद अहमद कुरेशी	R. Ahmed
6-	सत्य प्रकाश आनन्द	सत्य प्रकाश आनन्द
7-	डी0सी0 सौनी	
8-	अशोक कुमार वर्मन	अशोक कुमार वर्मन
9-	काशी राम	काशीराम
10-	जीवन लाल	जीवन लाल
11-	रमेश चन्द देहरे	

अध्यक्ष
डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर
बहुउद्देशीय शिक्षा एवं सेवा संस्थान
[illegible]

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा
11-4-14

नियमावली

1- संस्था का नाम :: डा० बी०आर० अम्बेडकर बहुउद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान ।

2- संस्था का पता :: प्रेमबाग, श्यामलाल की बगिया, ग्वालियर रोड आगरा

3- संस्था का कार्य क्षेत्र :: सम्पूर्ण भारत ।

4- समिति की स्थापना :: इस समिति के संस्थापक श्री गुलाब सेहरा, अध्यक्ष उ०प्र० अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास परिषद जो पूज्य बाबा श्री भीमराव अम्बेडकर एवं भगवान बुद्ध की पुण्यस्मृति में विश्वविधालय स्थापना सम्बन्धी कार्यों का मार्गदर्शन करते रहेगें ।

5- संस्था के सदस्य दो प्रकार के होगें :-

क- <u>संरक्षक सदस्य</u> :- कोई भी व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्यों में विश्वास एवं आस्था रखता हो तथा स्वस्थ्य एवं निरोगी मस्तिष्क का है वह संस्था को 10,000/- रु० देकर संस्था का संरक्षक सदस्य बन सकता है ये सदस्य आजीवन बने रहेगें ।

ख- <u>साधारण सदस्य</u> :- कोई भी व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्यों में विश्वास एवं आस्था रखता हो तथा स्वस्थ्य एवं निरोगी मस्तिष्क का है वह संस्था को 8000/- से 5000/- रुपया देकर संस्था का साधारण सदस्य बन सकता है । ये सदस्य आजीवन बने रहेगें ।

6- संस्था के दो अंग होगें :-

क- <u>साधारण सभा</u> :- इस सभा का गठन संरक्षक एवं साधारण सदस्यों द्वारा किया जायेगा । इनकी बैठक वर्ष में एक बार वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर होगी । बैठक की सूचना की अवधि 15 दिन होगी । इस सभा की गणपूर्ति सम्पूर्ण सदस्य के 1/3 की उपस्थिति से पूरी होगी । यदि सभा का एक बार स्थगन हो गया है तो दोबारा सभा के संचालन के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी आवश्यकता पड़ने पर सभा का अधिवेशन कभी भी अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये गये निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है ।

<u>साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य</u> :- समिति द्वारा गतवर्ष में किये गये कार्यों का विवरण साधारण सभा के सम्मुख वार्षिक अधिवेशन में रखा जावेगा । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष

अध्यक्ष
डा० बी० आर० अम्बेडकर
बहुउद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान
प्रेमबाग ग्वालियर रोड़, आगरा

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

.... पृ/2

की अनुमति से संस्था से संबंधित अन्य प्रकरणों पर भी xxxx साधारण सभा को विचार विमर्श करने का अधिकार होगा। साधारण सभा संस्था के कार्य संचालन में सुझाव रख सकती है जिस पर संस्था के कार्यकारिणी सभा विचार-विमर्श करके निर्णय लेगी। यह सभा प्रबन्ध कार्यकारिणी के लिए सदस्यों का चुनाव इसी सभा के लोगों में से करेगी।

ख - प्रबन्धकारिणी सभा :- इस सभा में सम्प्रति अध्यक्ष सचिव, सहसचिव कोषाध्यक्ष एवं माननीय सदस्य होगें। अध्यक्ष की अनुमति से इस सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। यही सभा सर्वोपरि होगी एवं संस्था का कार्य संचालन इसी सभा द्वारा किया जायेगा। संस्था के सभी मामले इस सभा के बहुमत के आधार पर निश्चित किया जाया करेगें। यदि किसी मामले में समान मत पक्ष और विपक्ष में आते हैं तो ऐसे मामले में अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार होगा और अध्यक्ष द्वारा दिए गए मत के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

प्रबन्धकारिणी सभा यदि उचित समझती है तो एक उपसभा का गठन अध्यक्ष, सचिव कोषाध्यक्ष तथा कुछ सदस्यों के द्वारा कर सकती है और इस उपसभा का निर्णय प्रबन्धकारिणी सभा का निर्णय माना जावेगा।

इस सभा का गठन निम्न प्रकार से होगा :- प्रबन्धकारिणी सभा का अध्यक्ष इस समिति का संस्थापक होगा। सचिव एवं कोषाध्यक्ष का नामांकन अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। अवशेष चार सदस्यों का भी नामांकन अध्यक्ष द्वारा संरक्षक एवं साधारण सदस्यों में से किया जावेगा। शेष चार सदस्यों का चुनाव समिति के दोनों प्रकार के सदस्यों में से उन्हीं सदस्यों द्वारा किया जायेगा। यदि आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की अनुमति से प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है तो उस बढ़े हुए संख्या का 1/2 भाग सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किये जायेगें तथा शेष का निर्धारित विधि के अनुसार चयन किया जायेगा।

इस सभा के गणपूर्ति के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। स्थगनोपरांत बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगा।

इस समिति को यह अधिकार होगा कि यह समिति के सभी प्रकार के ~~xx~~ अभिलेखों, रजिस्टरों एवं पत्रावलियों का अवलोकन, परीक्षण एवं जांच करे। समिति के कार्यकलाप के संबंध में इस सभा को अवगत

..... पृ0/2

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा

अशोक कुमार जैन
अध्यक्ष

कराना अनिवार्य होगा । यही सभा अध्यक्ष को अधिकार प्रदत्त करेगी कि वह समिति के वार्षिक लेखे का अनुमोदन करे । किसी भी मीटिंग में उन्हीं मामलों पर वार्ता की जावेगी जो सभा का कार्यक्रम होगा । नये विषयों पर बहस के लिए अध्यक्ष की अनुमति अपरिहार्य होगी ।

इस सभा का कार्यक्रम 5 वर्ष का होगा । यदि अध्यक्ष समझता है कि इसका कार्यकाल बढ़ाया जाये तो वह एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है ।

इस सभा की बैठक वर्ष में 2 बार 6 माह के अंतराल पर होगी लेकिन प्रथम बैठक समिति के गठन के दो माह के अंदर होना आवश्यक होगा । बैठक आहुत करने के लिए 15 दिन का समय पर्याप्त होगा तथा विशेष बैठक अध्यक्ष की अनुमति से कभी भी बुलाई जा सकती है ।

7- प्रबन्धकारिणी सभा के पदाधिकारियों के कर्त्तव्य एवं अधिकार :-

क- अध्यक्ष :- संस्थापक ही संस्था का अध्यक्ष होगा । यह सभा का सभापतित्व करेगा प्रबन्धकारिणी सभा के सचिव कोषाध्यक्ष एवं 1/2 सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा । इन्हीं के आदेशानुसार साधारण एवं कार्यकारिणी सभा की मीटिंग सचिव द्वारा बुलाई जावेगी । समिति का प्रत्येक कार्य इन्हीं के निर्देश एवं मार्ग दर्शन में होगा । अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह नामित सदस्यों, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को त्यागपत्र देने का आदेश दें यदि कोई त्यागपत्र देने से इंकार करता है तो अध्यक्ष उसे हटा सकता है अध्यक्ष समिति के कार्य के लिए अवैतनिक अथवा वैतनिक कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है और वही उनको हटा भी सकता है । समिति के कार्य के लिए अध्यक्ष उत्तरदायी होगा अतः वह यह देखेगा कि समिति के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य हो रहे हैं समिति के उद्देश्यकी पूर्ति हेतु वह कोई भी कार्य कर सकता है जो बाद में कार्यकारिणी सभा के सम्मुख रखेगा सचिव एवं कोषाध्यक्ष उसी के नियंत्रण पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेंगें । सचिव, कोषाध्यक्ष अथवा किसी भी कर्मचारी के किसी भी आदेश को संशोधित परिवर्तित एवं वापिस ले सकता है ।

समिति के सम्पत्ति का प्रबन्ध अध्यक्ष की देख रेख में किया जावेगा । समिति को प्राप्त धनराशि को अध्यक्ष द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ही किसी मान्यता प्राप्त बैंक में जमा किया जावेगा । धन के आहरण के पूर्व अध्यक्ष

....पृ/4

अशोक कुमार
अध्यक्ष
डा० बी० आर० अम्बेडकर
सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा
17-4-14

की अनुमति प्राप्त करना तथा आहरण बिल पर इनका प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक है ।

अध्यक्ष यदि आवश्यक समझता है तो वह अपने कार्य को पूर्णत: अथवा अंशत: प्रबन्धकारिणी सभा के किसी व्यक्ति को सौंप सकता है । समिति के सम्पत्ति के अध्याप्ति स्वम् निस्तारण अध्यक्ष हस्ताक्षर से होगें ।

अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने जीवनकाल में हीअपना उत्तराधिकारी सदस्यों में से स्वयं चुने, वह स्वेच्छा से अपने पद को त्याग सकता है इसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है ।

7- सचिव :- अध्यक्ष के नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा यही समिति के लिए नोटिस निर्धारण संबंधी रूप रेखा तैयार करेगा । प्रबन्ध कारिणी सभा द्वारा अनुमोदित नीति का कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सचिव होगा ।

समिति के उपयोग में आने वाले अभिलेखों, रजिस्टरों आदि का रखरखाव सचिव को करना होगा । अध्यक्ष की अनुमति से सभा की मीटिंग बुलाना तथा उनके लिए कार्यक्रम निश्चित करना सचिव का काम होगा । सभा द्वारा किये गये कार्य का विवरण सचिव रखेगा तथा प्रगति आख्या आगामी सभा की बैठक में रखने का कार्य सचिव करेगा । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा दिये गये किसी भी काम को सचिव करने को बाध्य होगा । सभा द्वारा निश्चित किये गये विधि के अनुसार सचिव को मानदेय दिया जा सकता है ।

स. उपसचिव = सचिव की अनुपस्थिति में सचिव का कार्य करेगा

ग- कोषाध्यक्ष :- अध्यक्ष की सुपरविजन (देखरेख) में एवं मार्ग दर्शन में काम करेगा । सभा द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार कोषाध्यक्ष को मानदेय दिया जा सकता है । कोषाध्यक्ष समिति की प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा रखेगा तथा अध्यक्ष द्वारा बनाये गये नियम के अनुसार प्राप्त धनराशि की मान्यता प्राप्त बैंक में जमा करेगा । लेखा से सम्बन्धित रोकड़बही, लेजर, प्राप्ति का रसीद तथा अन्य रजिस्टर का रख रखाव अध्यक्ष के सम्मुख रखेगा । । इसी प्रकार वार्षिक लेखे का विवरण तैयार करके प्रबन्धाकारिणी सभा के समक्ष रखेगा । कोषाध्यक्ष इस बात का उत्तरदायी होगा कि कोई भी धनराशि का आहरण तथा भुगतान अध्यक्ष की अनुमति के बिना न हो । समिति के लेखे का आडिट कराना कोषाध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी । इसके अतिरिक्त कोई भी काम जो संस्था के हित में है अध्यक्ष द्वारा सौंपा जाय उसे कोषाध्यक्ष को करना होगा ।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मं ब, आगरा
11/4/14

अशोक कुमार

पृ0/5

8- लेखा परीक्षा :- समिति के लेखे का परीक्षण वर्ष में एक बार होगा । यह लेखा परीक्षा प्रबन्धकारिणी सभा द्वारा नियुक्त किसी योग्य लेखा परीक्षक द्वारा किया जावेगा । इस कार्य के लिए सभा द्वारा उचित धनराशि लेखा परीक्षक को देय होगा । आडिट रिपोर्ट सभा के सम्म रखा जावेगा ।

9- विवाद :- समिति से संबंधित अथवा पदधारक या कर्मचारी से उत्पन्न विवाद किसी अदालत में नहीं ले जाया जावेगा । सभी प्रकार के विवाद अध्यक्ष द्वारा नियुक्त पंच द्वारा तय किया जायेगा और यह निर्णय सर्वमान्य होगा।

10- संशोधन :- समिति के नियमों उपनियमों का संशोधन प्रबन्धकारिणी सभा के 2/3 सदस्यों के एकमत होने पर किया जाता है । लेकिन अध्यक्ष से संबंधित किसी भी नियम का संशोधन अध्यक्ष के अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है ।

11- विघटन :- समिति का विघटन एवं उसके कारण उत्पन्न स्थिति के सोसायटी रजि0 अधिनियम धारा 13 और 14 के अनुसार निर्णित की जावेगी ।

12- विविध :- 1- समिति से सम्बन्धित पत्र व्यवहार अध्यक्ष के नाम में होगा ।

2- समिति द्वारा अथवा समिति के विरूद्ध कोई भी बात सचिव के नाम से होगा ।

3- प्रबन्धकारिणी सभा अथवा साधारण सभा के सदस्य अध्यक्ष को छोड़कर अपने त्यागपत्र अध्यक्ष को सम्बोधित करेंगे

4- प्रबन्धकारिणी सभा के चुने हुए सदस्यों का त्यागपत्र प्रबन्धकारिणी सभा द्वारा स्वीकार किया जावेगा और त्यागपत्र स्वीकार की तिथि से मान्य होगा ।

5- प्रबन्धकारिणी सभा के चुने हुए सदस्यों या किसी सदस्य को यदि सभा उचित समझती है तो हटा सकती है ।

6- समिति का अपना स्वयं का झंडा होगा जो समिति के कार्यालय तथा सुअवसरों एवं यथोचित स्थानों पर फहराया जायेगा ।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा

अध्यक्ष
बाबा साहब अम्बेडकर
... शिक्षा एवं सेवा संस्थान
... आगरा

डा0 बी.आर.अम्बेडकर बहुउददेशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान, प्रेम बाग, श्यामलाल की बगिया, ग्वालियर रोड, आगरा।

प्रबन्ध कारिणी समिति की सूची वर्ष–2009–2010

क.सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती चन्द्रकान्ता सेहरा	पंजा मदरसा, आगरा।	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री वेद प्रकाश वर्मा	कला बाजार,अनूपशहर, बुलन्दशहर।	उपाध्यक्ष	वकालत
3.	श्री दिनेश सेहरा	06, संगीता एपार्टमेंट,जसोरिया इन्क्लेव, फतेहाबाद रोड, आगरा।	सचिव	समाजसेवा
4.	श्री सुनील सेहरा	5/178, पंजा मदरसा, आगरा।	उपसचिव	व्यापार
5.	श्री नदीम अहमद कुरैशी	17/64, चौराहा मीरा हुसैनी, आगरा।	कोषाध्यक्ष	व्यापार
6.	श्री ओम प्रकाश चौहान	32–बी/4ए/1,प्रकाश नगर,कमलानगर, आगरा।	ऑडीटर	व्यापार
7.	श्री जावेद खॉन	61/56, रसूलपुर, सरायख्वाजा, आगरा।	सदस्य	व्यापार

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

N Ahmad

S. Sehra